भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2550
21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

2550. श्री साकेत गोखले :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस्पात आयातकों को ऐसे इस्पात ग्रेड के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अंतर्गत नहीं आते हैं, यदि हां, तो एनओसी प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या मंत्रालय को क्यूसीओ के अंतर्गत नहीं आने वाले इस्पात ग्रेड के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत या चिंता प्राप्त हुई है, यदि हां, तो व्यक्त की गई चिंताओं के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख) : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) इस्पात मंत्रालय के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि देश में केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात का ही उत्पादन हो या बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम उपयोगकर्ता और आम जनता को केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। बाहर से इस्पात का कोई भी आयात केवल बीआईएस लाइसेंस के साथ किया जा सकता है। हालांकि, कुछ इस्पात ग्रेड जो अभी तक बीआईएस मानकों के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करके आयात किया जा सकता है। अगले छह महीनों के लिए आयात की जाने वाली इच्छित मात्रा के आधार पर अग्रिम एनओसी जारी की जा रही है। एनओसी मांगने वाले आवेदकों को इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने अपेक्षित होंगे। इस्पात मंत्रालय निर्धारित मानदंडों के अनुसार, एक समयबद्ध तरीके से नियमित आधार पर अग्रिम एनओसी के लिए आवेदनों पर निर्णय लेता है।

****